



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: spdrmsaraj@gmail.com



क्रमांक:- रामाशिप/जय/SIQE/फा- 60703 /2015 /12.173

दिनांक: 08/06/2015

आदेश

राज्य के समस्त समन्वित राजकीय उमावि./माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 10/12 तक संचालित) में कक्षा 1 से 5 में गुणवत्ता शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एज्यूकेशन (SIQE) परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त एस.आई.ई.आर. टी., यूनिसेफ एवं बोध शिक्षा समिति के मध्य एक एम ओ यू किया गया है। एम ओ यू के तहत परियोजना की गतिविधियों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यकारी समूह का गठन किया जाता है। समूह में निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर। - अध्यक्ष
2. उपायुक्त रामाशिप. जयपुर - सदस्य
3. राज्य समन्वयक, रामाशिप. जयपुर - सदस्य
4. उपनिदेशक, (क्वालिटी एवं प्रशिक्षण) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर- - सदस्य सचिव
5. उपनिदेशक, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर। - सदस्य
6. मनोनीत प्रतिनिधि, निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर। - सदस्य
7. प्रतिनिधि, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर। - सदस्य
8. प्रतिनिधि, यूनिसेफ, जयपुर। - सदस्य
9. प्रतिनिधि, बोध शिक्षा समिति, कूकस, जयपुर। - सदस्य
10. अभिषेक / मैना साही, बी.सी.जी. - विशेष आमन्त्रित सदस्य

राज्यकार्यकारी समूह (State Working Group), परियोजना की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रबन्धन परियोजना परिचालन समिति (Programme Steering Committee) के निर्देशानुसार करेगा। राज्य कार्यकारी समूह -

- परियोजना के सभी सहभागी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए अधिकृत होगी।
- परियोजना के क्रम में प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारण एवं निर्णय लेने में परियोजना परिचालन समिति Programme Steering Committee को समर्थन देगा।

- राज्य परियोजना समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य कार्यकारी समूह का होगा।
- परियोजना हेतु पाठ्य सामग्री, अभिलेखों के प्रारूप, शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री आदि का राज्य शैक्षिक समूह की संस्तुति के आधार पर अनुमोदन कर परियोजना परिचालन समिति को प्रेषित करने हेतु अधिकृत होगा।
- परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए कार्ययोजना तैयार करेगा एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आदेश एवं परिपत्र जारी करने के लिए अधिकृत होगा।

- कार्ययोजना के अनुरूप त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन परियोजना परिचालन समिति (Programme Steering Committee) के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

समूह के दायित्वों के आधार पर राज्य कार्यकारी समूह की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती रहेगी परन्तु प्रत्येक 2 माह में एक बार आवश्यक रूप से समूह की औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी।

(नरेशपाल चामुन्वार)
शासन सचिव (मा.शि. एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर

प्रतिलिपि : आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सहायक, शासन सचिव, मा.शि., राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप. जयपुर।
8. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
9. उपायुक्त, रामाशिप. जयपुर।
10. राज्य समन्वयक, रामाशिप. जयपुर।
11. यूनिसेफ, जयपुर।
12. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर।
13. उपनिदेशक, (नोडल प्रभारी, रामाशिप.) निदेशालय, मा.शि., राजस्थान, बीकानेर।
14. उपनिदेशक, प्रशिक्षण एवं क्वालिटी, रामाशिप. जयपुर।
15. जि.शि.अ., मा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिला।
16. कार्यालय प्रति।

(नरेशपाल चामुन्वार)
शासन सचिव (मा.शि. एवं आयुक्त,
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
जयपुर